



प्रेसनोट / सराहनीय कार्य

(पत्रांक-260/2021 दिनांक 20.09.2021)

दिनांक- 20.09.2021 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य

वन संरक्षित क्षेत्र से चोरी किया गया 143 बोटा खैरा लकड़ी बरामद

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री सचिन्द्र पटेल के निर्देशन में जनपद कुशीनगर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 20.09.2021 को थाना कोतवाली पड़रौना पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम बबुइया हरपुर टोला बडी मसई पुल के पास बांसी नदी में जलकुंभी के अन्दर 143 बोटा (छोट, बडा,मोटा व पतला) खैरा की लकड़ी छिपाकर रखी चोरी कि लकड़ी को बरामद किया । बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 394/21 धारा 26 F(1) भारतीय वन संरक्षण अधिनियम व 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरण:-

1. 143 बोटा (छोटा , बडा , मोटा व पतला) खैरा की लकड़ी

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 श्री रामलक्ष्मण सिंह थाना को0 पड़रौना जनपद कुशीनगर
2. हे0का0 जयप्रकाश शुक्ला थाना को0 पड़रौना जनपद कुशीनगर
3. हे0का0 धीरेन्द्र कुमार थाना को0 पड़रौना जनपद कुशीनगर
4. का0विजय यादव थाना को0 पड़रौना जनपद कुशीनगर
5. का0 विलास थाना को0 पड़रौना जनपद कुशीनगर
6. का0 ओमप्रकाश यादव थाना को0 पड़रौना जनपद कुशीनगर

आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही

थाना कप्तानगंज

थाना कप्तानगंज पुलिस टीम द्वारा एक नफर अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से कुल 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर अन्तर्गत मु0अ0सं0-301/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम में आवश्यक विधिक कार्यवाह की जा रही है

थाना कसया

थाना कसया पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त सोनू पुत्र छट्टू प्रसाद साकिन रामपुर पट्टी थाना कसया जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से कुल 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर अन्तर्गत मु0अ0सं0-671/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

आर्म्स एक्ट में की गयी कार्यवाही

थाना हाटा

थाना हाटा पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त अफसर अली पुत्र आशिक अली साकिन हैदरनगर थाना ओरमंझी जनपद राची (झारखण्ड) को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद कर अन्तर्गत मु0अ0सं0-432/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

वांछित अभियुक्तो कि गिरफ्तारी

थाना कोतवाली पड़रौना

थाना कोतवाली पड़रौना पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 381/21 धारा 363,366,376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अभिषेक मिश्रा पुत्र विशेश्वर मिश्रा सा0 दुबे बतरहा थाना फुलवरिया जनपद गोपालगंज (बिहार) को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा नफर 16 अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में =

1. मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-0, ई-चालान- 153 वाहन।
2. 107/116 में की गयी कार्यवाही-मु0-33, व्यक्ति-118
3. आबकारी अधिनियम में कार्यवाही-मु0-02,अभि0-02,बरामदगी-40 ली0 अवैध कच्ची शराब
4. आर्म्स एक्ट में कार्यवाही-मु0-01,अभि0-01,बरामदगी-01 अदद अवैध चाकू।
5. वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी-कुल-01
6. चोरी की 143 बोटा खैरा की लकड़ी बरामद
7. जनपद में कुल गिरफ्तारी –(कुल-20)*

मीडिया सेल
जनपद कुशीनगर